राजस्वप्रार्थनापत्र 116/2020
गोपाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी –रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र – 116/2020

प्रार्थी–

1. गोपाराम पुत्र अरजाराम जाति –मेघवाल
   निवासी–बुगरड़ा, तहसील–जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम – 1956

निर्णय दिनांक :– 12/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोपाराम पुत्र अरजाराम हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा बुगरडा तहसील जायल के खतौनी सं. 193 खसरा नम्बर 138, 22, 371, 377, 476, 547 गोपालराम पुत्र अरजाराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, व आधार कार्ड संख्या 4184 9892 0968 मे प्रार्थी का सही नाम गोपाराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/474 दिनांक 25.01.2021 मय हल्का पटवारी बुगरड़ा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि

12/03/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का सही नाम गोपाराम है अथवा गोपालराम यह प्रार्थी स्वयं साबित करे प्रकरण में वर्णित खसरान की भूमि सम्वत् 2059–2062 में स्व. अरजाराम पुत्र शिवकरण के नराम खातेदारी में दर्ज थी जिनके फौत होने पर उक्त भूमि की खातेदारी जरिये विरासत नामान्तकरण से प्रार्थी गोपाराम का नाम अन्य खातेदारान यथा, नाथी, मदनलाल, कैलाश, हंसराज एवं भीकी कौम भांबी के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् मे प्रार्थी का नाम गोपालराम न होकर गोपाराम अंकित है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी बुगरड़ा तहसील जायल की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में बुगरड़ा के खतौनी सं. 193 में अंकित खसरा नं. 138, 22, 371, 377, 476, 547 प्रार्थी का नाम गोपालराम पुत्र अरजाराम के स्थान पर गोपाराम पुत्र अरजाराम जाति–मेघवाल निवासी बुगरड़ा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज बुगरड़ा तहसील के खतौनी सं. 193 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो क़ि स्व. अरजाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा अन्य खातेदार के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति में प्रार्थी गोपाराम व गोपालराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय गोपाराम के स्थान पर गोपालराम पुत्र अरजाराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है

उप. कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि गोपालराम पुत्र अरजाराम एवं गोपाराम पुत्र अरजाराम मेघवाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी गोपाराम पुत्र अरजाराम जाति–मेघवाल निवासी–बुगरड़ा तहसील जायल का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 193 में दर्ज सहखातेदार नाम गोपालराम के स्थान पर वास्तविक नाम गोपाराम पुत्र अरजाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम बुगरड़ा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 193 खसरा नं. 138, 22, 371, 377, 476, 547 में दर्ज नाम गोपालराम पुत्र अरजाराम के स्थान पर गोपाराम पुत्र अरजाराम जाति–मेघवाल निवासी–बुरड़ा तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

17/3/2021
(रविन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner